

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 24 / 2026 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

हिन्दुजा हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी नेहा कुमावत
रजि. कार्यालय:- 27 ए, डवलपड इन्डस्ट्रीयल एस्टेट गुईन्डी चेन्नई-600032
शाखा कार्यालय:-21/22, ऊपरी भूतल जयपुर इलेक्ट्रानिक मार्केट बिल्डिंग
गोपालपुरा बाईपास जयपुर-302018

-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. दिलीप सिंह पुत्र रतन सिंह शेखावत

प्रथम पता:-सामी सीकर राजस्थान 332023

द्वितीय पता:-पट्टा न. 18 मिसल न. 122 ग्राम सामी ग्राम पंचायत सामी
पंचायत समिति धोद तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राजस्थान

तृतीय पता:- पट्टा न. 19 मिसल न. 123 ग्राम सामी ग्राम पंचायत सामी
पंचायत समिति धोद तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राजस्थान

2. रतन सिंह पुत्र मांगू सिंह (विधिक वारिस मांगू सिंह)

प्रथम पता:-रानवा मंदिर के पास सामी सीकर राजस्थान 332023

द्वितीय पता:-पट्टा न. 18 मिसल न. 122 ग्राम सामी ग्राम पंचायत सामी
पंचायत समिति धोद तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राजस्थान

तृतीय पता:- पट्टा न. 19 मिसल न. 123 ग्राम सामी ग्राम पंचायत सामी
पंचायत समिति धोद तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राजस्थान

3. सूरज कंवर पत्नी रतन सिंह

प्रथम पता:-सामी सीकर राजस्थान 332023

द्वितीय पता:-पट्टा न. 18 मिसल न. 122 ग्राम सामी ग्राम पंचायत सामी
पंचायत समिति धोद तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राजस्थान

तृतीय पता:- पट्टा न. 19 मिसल न. 123 ग्राम सामी ग्राम पंचायत सामी
पंचायत समिति धोद तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राजस्थान

-अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)

१

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांक: 23 मार्च, 2026


1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री राहुल पारीक** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **दिलीप सिंह पुत्र रतन सिंह शेखावत, रतन सिंह पुत्र मांगू सिंह (विधिक वारिस मांगू सिंह) व सूरज कंवर पत्नी रतन सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी** के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्तियां निम्नानुसार है:-**

1. पट्टा न. 18 मिसल न. 122 ग्राम सामी ग्राम पंचायत सामी पंचायत समिति धोद तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 299.65 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं- पूरब दिशा में दलपत सिंह पुत्र भंवर सिंह का प्लॉट, पश्चिम दिशा में सुनिता कंवर पत्नी बहादूर सिंह का प्लॉट, उत्तर दिशा में मकान मांगू सिंह पुत्र छोटू सिंह व शामलाती रास्ता एवं दक्षिण दिशा में प्लॉट रामसिंह, लक्ष्मण सिंह पुत्र माल सिंह है।

2. पट्टा न. 19 मिसल न. 123 ग्राम सामी ग्राम पंचायत सामी पंचायत समिति धोद तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 299.88 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं- पूरब दिशा में दलपत सिंह पुत्र भंवर सिंह का मकान व शामलाती रास्ता, पश्चिम दिशा में बजरंग सिंह पुत्र छोटू सिंह का प्लॉट, उत्तर दिशा में आम रास्ता एवं दक्षिण दिशा में सूरज कंवर पत्नी रतन सिंह का मकान है।

उक्त सम्पत्तियों को बंधक रखकर कुल ₹10,50,000/- रुपये (अक्षरे रुपये दस लाख पचास हजार) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 22.08.2025 के रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The




(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Securitisaton and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **22.08.2025** के धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **दिलीप सिंह पुत्र रतन सिंह शेखावत, रतन सिंह पुत्र मांगू सिंह (विधिक वारिस मांगू सिंह) व सूरज कंवर पत्नी रतन सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी** के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्तियां निम्नानुसार है:-**

1. पट्टा न. 18 मिसल न. 122 ग्राम सामी ग्राम पंचायत सामी पंचायत समिति धोद तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 299.65 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में दलपत सिंह पुत्र भंवर सिंह का प्लॉट, पश्चिम दिशा में सुनिता कंवर पत्नी बहादूर सिंह का प्लॉट, उत्तर दिशा में मकान मांगू सिंह पुत्र छोटू सिंह व शामलाती रास्ता एवं दक्षिण दिशा में प्लॉट रामसिंह, लक्ष्मण सिंह पुत्र माल सिंह है।

2. पट्टा न. 19 मिसल न. 123 ग्राम सामी ग्राम पंचायत सामी पंचायत समिति धोद तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल



(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर




क्षेत्रफल 299.88 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में दलपत सिंह पुत्र भंवर सिंह का मकान व शामलाती रास्ता, पश्चिम दिशा में बजरंग सिंह पुत्र छोटू सिंह का प्लॉट, उत्तर दिशा में आम रास्ता एवं दक्षिण दिशा में सूरज कंवर पत्नी रतन सिंह का मकान है।

उक्त बंधक सम्पत्तियों का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।



6. आदेश आज दिनांक **23 मार्च, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर